संख्या- 123 /2022/ 503 /चार-2022

प्रेषक,

विनय श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभागः लखनऊःदिनांक 31 मार्च, 2022

विषय- श्री रामलीला समिति ऐशबाग, लखनऊ द्वारा भारतीय नववर्ष महोत्सव ''चैती मेला'' के आयोजन हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-5354/सं0नि0-15(1)/2022-23, दिनांक 30 मार्च, 2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 02-10 अप्रैल, 2022 की अवधि में श्री रामलीला समिति ऐशबाग, लखनऊ द्वारा कराये जाने वाले आयोजन हेतु धनराशि रू0 15.00 लाख (रूपये पन्द्रह लाख मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती हैः-

(1) समस्त कार्यों का सत्यापन कराकर भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(2) उक्त स्वीकृति धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा।

(3) कलाकारों का भुगतान सीधे उनके खाते में कार्यक्रम समाप्ति के एक सप्ताह के भीतर किया जायेगा।

(4) कार्यक्रम के फोटोग्राफ व उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा ।

(5) कार्यक्रम की पेपर कटिंग उपलब्ध करायी जायेगी ।

3- उक्त धनराशि रू0 15.00 लाख (रूपये पन्द्रह लाख मात्र) की चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-800-अन्य व्यय-19-चौरी-चौरा शताब्दी-42-अन्य व्यय मद में उपलब्ध धनराशि से वहन किया जायेगा।

भवदीय,
(विनय श्रीवास्तव)
अनु सचिव

संख्या- 123 /2022/ 503(1) /चार-2022, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त(लेखा) अनुभाग-1/वित्त(ई-7) अनुभाग।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विनय श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।